संख्या-11 /2024/001-252-12-5-2024-1780799-12-5099-5-2024

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 01 मार्च, 2024**

विषय:- राज्य पोषित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-प्रसार/1677/एग्री0जंक्शन योजना/2023-24, दिनांक 02.01.2024 एवं पत्रांक-प्रसार/1988/एग्री0जंक्शन योजना/2023-24, दिनांक 27.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 05-आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में हो रही बचत से लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 09-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में धनराशि रू० 67.251 लाख (रूपये सरसठ लाख पच्चीस हजार एक सौ मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या–बजट-1-410 दिनांक 09.02.2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-सयम पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,25,100 (रुपये सड़सठ लाख पच्चीस हजार एक सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090900 प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

संख्या-11 /2024/001-252-12-5-2024-1780799-12-5099-5-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-26-12-5-2024-12-5099-5-2024

विषय:- राज्य पोषित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001090500 (आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	68,97,20,000 रुपये अडसठ करोड़ सत्तानवे लाख बीस हजार मात्र	~~11,68,02,000~~ रुपये ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख दो हजार मात्र	9932794 ~~88,31,98,000~~	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001090900 (प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना)	27 (सब्सिडी)	5,92,17,000 रुपये पांच करोड़ बयान्वे लाख सत्रह हजार मात्र	~~10,33,51,800~~ रुपये दस करोड़ तैंतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ मात्र	5,92,17,000 ~~16,25,68,800~~	2023-2024
011	2401001090900 (प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना)	42 (अन्य व्यय)	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	~~1,34,50,200~~ 67251 रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख पचास हजार दो सौ मात्र	122251 ~~1,89,50,200~~	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

1. राज्य पोषित आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बचत।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित व्ययाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है:-

1. उक्त मदों में अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-<बजट-1-410> -2023-24, दिनांक- 09 फरवरी ~~जनवरी~~, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।
Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 06-02-2024 14:23:14
Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

॥/491842/2024

संख्या- A012-20232024-26-12-5-2024-12-5099-5-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।